न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 61 / 2025(GCMS 2025/314)
(RTI No. 21242113233711 1)

श्री सचिन पुत्र श्री नानकचंद निवासी वार्ड नं. 19 तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 80944–95890)

बनाम

प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.09.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.2025 से सूचना चाही थी जो लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने उन्हें समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ से सूचना वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सचिन ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

1. बीरबल, व्याख्याता, राउमावि, हरिसिंहपुरा ग्राम पंचायत बीरमाना सूरतगढ़ की प्रतिनियुक्ति उपखण्ड / तहसील कार्यालय की निर्वाचन, चुनाव शाखा में लगाये जाने के आदेशों की प्रमाणित प्रति।
2. बीरबल व्याख्याता, राउमावि, हरिसिंहपुरा, ग्राम पंचायत बीरमाना, सूरतगढ की चुनाव कार्यालय में प्रतिनियुक्ति की दिनांक से सूचना भेजने की दिनांक तक की उपस्थिति पंजिका की प्रमाणित प्रतिलिपि।

निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) [illegible] ने अपने पत्रांक सूकाआ / 2025 / 9555 दिनांक 20.08.2025 के साथ [illegible] पील [illegible] को दिये गये जवाब की प्रति संलग्न कर प्रेषित की है [illegible] (एस.डी.एम.), सूरतगढ ने अपने पत्रांक आर.टी.आई / 2024 / 963 [illegible] दिनांक 18.07.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:37:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 61/2025
(GCMS No. 2025/314)
(RTI No. : 21242113237111)

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा आर.टी.आई. आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2025 (अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता कार्यालय को दिनांक 25.06.2025 को प्राप्त) द्वारा श्री बीरबल, व्याख्यायता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हरिसिंहपुरा, ग्राम पंचायत बीरमाना, सूरतगढ़ की उपखण्ड/तहसील कार्यालय की निर्वाचन शाखा में प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई है।
>
> अतः आप द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर उपुर्यक्तानुसार आदेशों के संबंध में आप द्वारा आदेश क्रमांक, दिनांक व वर्ष आदि का उल्लेख नहीं किये जाने के कारण उक्तानुसार सूचना उपलब्ध करवाई जाना संभव नहीं है। प्रथम अपीलकर्त्ता अधिकारी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर है।

निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी(एस.डी.एम.), सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक आर.टी.आई/2024/9631 दिनांक 18.07.2025 से अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का [illegible] भिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना [illegible] है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:37:17 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 61 / 2025
(GCMS No. 2025/314)
(RTI No. : 212421132337111)

निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी(एस.डी.एम.), **सूरतगढ़ द्वारा** अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। **फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए** लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तृतीय पक्ष से सम्बन्धित प्रतीत होती है, जिसे लोक सूचना अधिकारी उस जानकारी को तुरंत प्रकट नहीं कर सकता है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वे सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 11 के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी(एस.डी.एम.), सूरतगढ़** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:37:17 IST
Reason: SelfAttested